File No. 369/4/26/2022

29.11/12.12.2023

आवेदक सेवानिवृत्त सहायक–सह–रोकड़पाल के द्वारा यह कहते हुए कि वे दिनांक 30.11.2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं। एक वर्ष बीत जाने के बावजूद उनका पेंशन विपत्र/उपादान हेतु महालेखाकार कार्यालय नहीं भेजा गया है।

पूर्व में आवेदक के आवेदन पर विशेष सचिव–सह–निदेशक प्रशासन, शिक्षा विभाग का पत्र प्राप्त है जिसके द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक दिनांक–30.11.2020 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन्हें 90% औपबंधिक पेंशन एवं 90% उपादान की स्वीकृति प्रदान की गई है। विभागीय आदेश के द्वारा 300 दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं ग्रुप बीमा अन्तर्गत अनुमान्य राशि का भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही उन्होंने यह भी प्रतिवेदित किया है कि आवेदक के विरुद्ध विभागीय पत्रांक–307, दिनांक–28.02.2022 द्वारा आरोप पत्र गठित है, जिसमें कैश का पूर्ण प्रभार नहीं दिये जाने एवं महालेखाकार के अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्ज आपत्ति से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया था एवं विभागीय पत्रांक–307, दिनांक–28.02.2022 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त प्रतिवेदन की प्रति आवेदक को भेजते हुए उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था, जिसके आलोक में आवेदक का प्रत्युत्तर(पृष्ठ–88–86/प0) प्राप्त है।

आवेदक के द्वारा निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि **"दिनांक 30.11.20 को सेवानिवृत्त के पश्चात् एक वर्ष 6 महीना 15 दिन पर विभाग के आदेश के द्वारा उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है, जो काफी विलंब से किया गया है। उनके ऊपर विभाग का किसी भी प्रकार का बकाया राशि नहीं था जबकि उक्त राशि का भुगतान सेवानिवृत्त के एक सप्ताह के अन्दर होना चाहिए।** विभाग द्वारा उनके प्रति अन्याय किया गया है। आवेदक ने यह भी कहा है कि पेंशन/उपादान एवं संविदा कार्य की मानदेय राशि भुगतान नहीं होने पर बाध्य होकर उनके द्वारा बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली में दिनांक–24.12.2021 को शिकायत दर्ज कराया। 15 दिन तक विभाग द्वारा निर्णय नहीं लिये जाने के कारण बाध्य होकर उनके द्वारा अपीलीय प्राधिकार (अपर मुख्य सचिव) के यहाँ अपील किया गया, जहाँ सुनवाई 6 महीने तक नहीं हुई जबकि अपीलीय प्राधिकार को 2 माह के अन्दर सुनवाई कर आदेश पारित करना था, परन्तु नहीं किया गया। साथ ही किस कारण से डेढ़ वर्ष तक पेंशन उपादान से वंचित रखा गया एवं औपबंधित पेंशन/उपादान क्यों स्वीकृत की जानकारी नहीं दी गई।

आवेदक के द्वारा यह भी कहा गया है कि औपबंधिक पेंशन एवं उपादान स्वीकृत कर महालेखाकार को भेजा गया, लेकिन सेवा पुस्त पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं था एवं न ही पेंशन प्रपत्र की जाँच की गई, इस कारण महालेखाकार द्वारा दिनांक–24.08.2022 को त्रुटि निराकरण हेतु वापस किया गया।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अपीलीय प्राधिकार के सुनवाई के समय हैरत करने वाली सूचना उप निदेशक(प्रशासक) के द्वारा आरोप पत्र गठित कर सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित किया गया है और उसी दिन अपीलीय प्राधिकार(अपर मुख्य सचिव), शिक्षा विभाग को भी दी गई। गठित आरोप पत्र की प्रतिलिपि भी उन्हें नहीं दी गई है। उक्त सुनवाई के आलोक में दिनांक–01.09.2022 को अपीलीय प्राधिकार (अपर मुख्य सचिव), शिक्षा विभाग द्वारा आदेश पारित किया गया कि शीघ्र ही आरोप पत्र गठित करने से संबंधित स्पष्टीकरण पूछा गया। आवेदक के द्वारा यह भी कहा गया है कि विभागीय आदेश के आलोक में उनकी सेवा पुस्तिका का पुनः त्रुटि दूर कर महालेखाकार कार्यालय को भेजने हेतु पत्र निर्गत किया गया, परन्तु इसे 11 दिनों तक लंबित रखा गया और उनके संविदा पर कार्यरत अवधि के भुगतान हेतु कार्यालय आदेश निकाला गया, लेकिन 2 माह बीतने को है पर विभाग द्वारा स्वीकृत्यादेश नहीं निकाला गया। संविदा कार्यरत अवधि का मानदेय 2 साल से लंबित है। आवेदक के द्वारा यह भी कहा गया है कि महालेखाकार कार्यालय, पटना द्वारा 100% पेंशन/उपादान की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। एक माह बीतने के पश्चात् विभाग द्वारा बकाया रहित प्रमाण पत्र नहीं दिया गया तो बाध्य होकर दिनांक–02.11.2022 को निदेशक(प्रशासन)–सह–अपर सचिव को बकाया रहित प्रमाण पत्र देने का आवेदन उनके द्वारा दिया गया। आवेदक के द्वारा कहा गया कि उनके विरुद्ध आरोप पत्र में अंकेक्षण दल से असहयोग एवं कैश बुक ससमय नहीं दिये जाने का मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए उन्हें 6 माह तक आरोप–पत्र गठित करने की जानकारी नहीं दिये जाने का आरोप लगाया गया है। आवेदक ने वित्त विभाग के संकल्प सं0–3014, दिनांक–31.07.1990 के क्रमांक(7) के नियम (ख) में प्रावधान है कि "अगर सरकारी सेवक के विरुद्ध उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक किसी प्रकार की विभागीय कार्रवाई फौजदारी मुकदमा, न्यायिक जाँच इत्यादि प्रारंभ नहीं की गई, तो उस स्थिति में किसी भी हालत में पेंशन रोकने का अधिकार पेंशन स्वीकृत पदाधिकारी को नहीं होगी"। यह भी कहा गया है कि पूरे सेवा काल में किसी भी प्रकार का अरोप, विभागीय कार्यवाही किसी प्रकार का सरकारी बकाया राशि एवं फौजदारी मुकदमा नहीं हुआ है, अगर सरकारी कर्मी बड़ा अपराध करत है, तो उसे निलंबति कर जीवन–यापन भत्ता सरकार की ओर से दिया जाता है, उन्हें 2 वर्षों तक पेंशन/उपादान की राशि से वंचित रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके आवेदन पर 2 वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तब बाध्य होकर राज्य आयोग के समक्ष यह आवेदन दिया गया है।

शिक्षा विभाग, निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव का प्रतिवेदन पत्रांक 04/व0–01–24/2008/750 (अ0) दिनांक 09.05.2023 दर्शाता है कि श्री महतो का सेवान्त लाभ यथा–300 दिनों की अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगर राशि का भुगतान (विभागीय आदेश सं0 900 दिनांक 15.06.2022), ग्रुप बीमा अन्तर्गत अनुमान्य राशि का भुगतान (विभागीय आदेश सं0 492 दिनांक 21.12.2022) तथा पेंशन हेतु बकाया रहित प्रमाण–पत्र (विभागीय पत्रांक 283 दिनांक 07.02.2023) निर्गत किया जा चुका है। इसके साथ ही श्री महतो की संविदा अवधि के मानदेय राशि का भुगतान विभागीय आदेश सं0 745 दिनांक 08.05.2023 द्वारा किया जा चुका है। जबकि श्री महतो की दिनांक 30.11.2020 को सेवानिवृत हुए हैं। सेवान्त लाभ सेवानिवृति के तुरन्त बाद मिल जाना चाहिए था लेकिन लगभग दो साल विलम्ब किया गया है। यह विभाग की लापरवाही को दर्शाता है। सेवानिवृति के इतने समय बाद सेवान्त लाभ का भुगतान किया है। इन दो सालो में श्री महतो को कई तरह की मानसिक एवं आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। अतः प्रथम दृष्टया प्रसंगाधीन मामला एक वरिष्ठ नागरिक के विरूद्ध मानवाधिकार हनन का प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव, शिक्षा विभाग से निदेशित किया जाता है कि परिवादी को विलम्ब से हुए भुगतान करने के कारण आर्थिक हानि एवं मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा होगा इसलिए राज्य मानवाधिकार आयोग ₹25,000/– का क्षतिपूर्ति परिवादी को विभाग के लापरवाही को देखते हुए भुगतान करने की अनुशंसा करती है तथा यह आदेश निर्गत होने के 8 सप्ताह के अंदर भुगतान सुनिश्चित करते हुए परिवादी एवं राज्य आयोग को सूचित किया जाय। इस आदेश के साथ यह शिकायत को मंजूर किया जाता है।

आदेश की प्रति मुख्य सचिव, बिहार पटना एवं अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

(Ananta Manohar Badar)
Chairperson